

• सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 :-

इस कार्यालय में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 प्रभावशील है। इसके अंतर्गत निम्नांकित दस्तावेज इस अधिनियम के अंतर्गत जानकारी प्रदान करने हेतु निर्धारित किया गया है :-

- 1/ आवक पंजी (वर्ष 2011 के पूर्व पंजी के रूप में) एवं इसके पश्चात् कम्प्यूटर में दर्ज अभिलेख के रूप में संधारित (गत दस वर्षों का)
- 2/ जावक पंजी (गत दस वर्षों का)
- 3/ छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (संशोधित 1998) के अधीन समितियों का पंजीयन रजिस्टर
- 4/ छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (संशोधित 1998) के अधीन पंजीकृत समितियों का नकल रजिस्टर (गत दस वर्षों का)
- 5/ छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (संशोधित 1998) के अधीन पंजीकृत समितियों की नस्ती
- 6/ पंजीकृत सोसायटियों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों की पंजी
- 7/ पंजीकृत सोसायटियों द्वारा धारा-21 के अधीन भूमि क्रय/विक्रय करने की पूर्वानुमति संबंधी पंजी
- 8/ पंजीकृत सोसायटियों के कार्यकलापों के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की पंजी
- 9/ सहायक पंजीयक एवं अन्य के विरुद्ध अपील पंजी
- 10/ न्यायालयीन प्रकरण की जानकारी पंजी
- 11/ पंजीकृत सोसायटियों के विरुद्ध संस्थित धारा 32 के अधीन जांच आदेश की पंजी
- 12/ भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अधीन अभिस्वीकृति के रिकार्ड पंजीबद्ध किये जाने का रजिस्टर
- 13/ भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अधीन पंजीबद्ध फर्मों की नस्ती
- 14/ कर्मचारियों की उपस्थिति पंजी
- 15/ आवंटन (एलाटमेंट) की नस्ती
- 16/ रोकड़ पंजी
- 17/ बिल रजिस्टर
- 18/ स्टॉक बुक
- 19/ अग्रिम पंजी
- 20/ छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में संधारित की जाने वाली पंजी प्रारूप-3
- 21/ छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालय में संधा की जाने वाली पंजी प्रारूप-4 ।